

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 25] No. 25] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 20, 2017/पौष 30, 1938

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 20, 2017/PAUSA 30, 1938

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण) अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जनवरी , 2017

फा. सं. 1-59/एफएसएसएआई/2009.—खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य प्रत्याह्वान) विनियम, 2015 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 92 की उपधारा (1) द्वारा यथापेक्षित कितपय नियमों का प्रारूप अधिसूचना सं. फा. सं. 1-59/एफएसएसएआई/2009 तारीख 22 अप्रैल, 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में प्रकाशित किया गया था, उन पर उन सभी व्यक्तियों से, जिनको उससे प्रभावित होने की संभावना है, उक्त अधिसूचना के राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध होने की तारीख से साठ दिनों की अविध के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे :

और राजपत्र की प्रतियां जनता को 29 मई, 2015 को उपलब्ध करा दी गई थीं ;

और उक्त प्रारूप विनियमों के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा विचार कर लिया गया है;

अतः, अब भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 28 की उपधारा (4) के साथ पठित धारा 92 की उपधारा (2) के खंड (ड) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :-

खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य प्रत्याह्वान) विनियम, 2017

अध्याय 1

साधारण

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य प्रत्याहवान प्रक्रिया) विनियम, 2017 है।

335 GI/2017 (1)

- (2) ये राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. परिभाषाएं.—(1) इन विनियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,
 - (क) "अधिनियम" से खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) अभिप्रेत है ;
 - (ख) इन विनियमों के प्रयोजनों के लिए **"खाद्य श्रृंखला"** के अंतर्गत विनिर्माण, प्रसंस्करण, वितरण, विक्रय, आयात और निर्यात में अंतर्वलित खाद्य है ;
 - (ग) "खाद्य प्रत्याह्वान" से खाद्य श्रृंखला से किसी प्रक्रम पर बाजार से खाद्य को, जिसके अंतर्गत उपभोक्ताओं के कब्जे में खाद्य भी है, हटाने की कार्रवाई अभिप्रेत है,;
 - (घ) "खाद्य प्रत्याह्वान योजना" से वे प्रक्रियाएं और इंतजाम अभिप्रेत हैं, जो किसी खाद्य कारबार प्रचालक के पास किसी समस्या के उदभूत होने पर खाद्य श्रृंखला से खाद्य और खाद्य उत्पादों को पुन:प्राप्त करने के लिए होगी ;
 - (ङ) "प्रत्याह्वान के अधीन खाद्य" से खाद्य उत्पाद का विनिर्दिष्ट लॉट या बैच या कूट संख्या अभिप्रेत है, जिसे राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के खाद्य प्राधिकारी या खाद्य सुरक्षा आयुक्त या खाद्य कारबार प्रचालक द्वारा अधिनियम या उसके तदधीन बनाए गए नियमों या विनियमों की अननुपालना करने वाला अवधारित किया गया है;
 - (च) "प्रत्याह्वान चेतावनी" से मुख्य कार्यपालक अधिकारी, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण या राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के खाद्य सुरक्षा आयुक्त या खाद्य कारबार प्रचालक द्वारा कार्यपालक अधिकारी, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण और राज्य (राज्यों) के संबंधित खाद्य सुरक्षा आयुक्त (आयुक्तों) को सूचना के अधीन प्रत्याह्वान के अधीन खाद्य के विषय में जारी कोई चेतावनी अभिप्रेत है;
 - (छ) "अनुमार्गणीयता" से किसी खाद्य वस्तु के उसके उत्पादन, प्रसंस्करण और वितरण के विभिन्न प्रक्रमों के माध्यम से उसके संचलन का अनुसरण करने की योग्यता अभिप्रेत है;
 - (ज) "असुरक्षित खाद्य" से अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (यय) के अधीन परिभाषित खाद्य अभिप्रेत है।
- (2) अन्य पद और अभिव्यक्तियां जिनका इसमें उपयोग किया गया है किंतु परिभाषित नहीं हैं और जो अधिनियम, नियमों या उसके तद्धीन बनाए गए विनियमों में परिभाषित हैं का वही अर्थ होगा जो उनका क्रमश: अधिनियम, नियमों या विनियमों में है।

अध्याय-2 उद्देश्य

- **3. खाद्य प्रत्याह्वान प्रक्रिया के उद्देश्य.**—(1) अधिनियम की धारा 28 के अनुसार खाद्य श्रृंखला के सभी प्रक्रमों पर प्रत्याह्वान के अधीन खाद्य के हटाने का सुनिश्चय करना ;
 - (2) संबंधित उपभोक्ताओं और ग्राहकों को सूचना के प्रसार का सुनिश्चय करना ; और
 - (3) प्रत्याह्वान के अधीन खाद्य की पुन:प्राप्ति, नष्ट करने या पुन:प्रसंस्कृत करने का सुनिश्चय करना ।

अध्याय-3 स्कोप

4. खाद्य प्रत्याह्वान प्रक्रिया का स्कोप.—ये विनियम उन खाद्य या खाद्य उत्पादों को लागू होंगे, जिन्हें प्रथमदृष्ट्या असुरक्षित अवधारित किया गया है और/या जैसा खाद्य प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जाए ।

स्पष्टीकरण—ऐसी खाद्य वस्तुएं जिन पर उनके उपभोग से संबंधित "स्वास्थ्य के लिए हानिकर" कानूनी चेतावनी का आज्ञापक वर्णन अपेक्षित है, को किसी प्रत्याह्वान योजना के भाग के रूप में तब तक असुरक्षित खाद्य नहीं समझा जाएगा जब तक उन्हें विनिर्दिष्ट्या स्वास्थ्य के लिए असुरक्षित और हानिकर न अवधारित किया जाए।

अध्याय 4 खाद्य प्रत्याह्वान प्रक्रिया

- **5. खाद्य प्रत्याह्वान प्रक्रिया को आरम्भ करना.**—(1) प्रत्येक खाद्य कारबार प्रचालक खाद्य प्रत्याह्वान प्रक्रिया का अनुसरण करेगा, जिसके अंतर्गत प्रत्याह्वान की संपूर्ण प्रक्रिया, पश्च प्रत्याह्वान रिपोर्ट और अनुवर्ती कार्रवाई है ताकि प्रत्याह्वान की प्रभावशीलता का सुनिश्चय किया जा सके और उसकी पुनरावृत्ति को निवारित किया जा सके।
- (2) खाद्य कारबार प्रचालक अधिनियम की धारा 28 के अनुसार अपने उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए प्रत्याह्वान प्रक्रिया को आरंभ करेगा।
- (3) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण या राज्य या संघ राज्यक्षेत्र का खाद्य सुरक्षा आयुक्त या दोनों खाद्य कारबार प्रचालक को प्रत्याह्वान प्रकिया को आरंभ करने का निदेश दे सकेंगे।
- (4) किसी प्रत्याह्वान प्रक्रिया को किसी पणधारी से खाद्य कारबार प्रचालक को किसी रिपोर्ट या निर्दिष्ट शिकायत के परिणाम के रूप में भी आरंभ किया जा सकेगा यदि खाद्य कारबार प्रचालक यह अवधारित करता है कि प्रत्याह्वान की आवश्यकता है। खाद्य कारबार प्रचालक के शिकायत का प्रत्युत्तर न देने की दशा में शिकायतकर्ता या उपभोक्ता मुख्य कार्यपालक अधिकारी, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण या खाद्य सुरक्षा आयुक्त राज्य या संघ राज्यक्षेत्र या दोनों को सूचित करेगा, जो कि प्रत्याह्वान की आवश्यकता का अवधारण करने के लिए कदम उठाएंगे और संबंधित खाद्य कारबार प्रचालक को प्रत्याह्वान के विषय में अनुदेश देंगे, जो कि ऐसे अनुदेशों द्वारा आबद्ध होगा।
- (5) संपूर्ण खाद्य श्रृंखला में सभी खाद्य कारबार प्रचालकों का खाद्य प्रत्याह्वान से संबंधित अनुदेशों को कार्यान्वित करने का उत्तरदायित्व होगा। ऐसा करने में असफल रहने पर खाद्य कारबार प्रचालक इस अधिनियम या उसके तदधीन बनाए गए नियमों या विनियमों में यथा उपबंधित कार्रवाई के लिए दायी होगा।
- (6) जब कोई खाद्य कारबार प्रचालक मुख्य कार्यपालक अधिकारी, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण या राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के खाद्य सुरक्षा आयुक्त द्वारा निदेशित प्रत्याह्वान को करने से इंकार कर देता है या जहां मुख्य कार्यपालक अधिकारी, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण या राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के खाद्य सुरक्षा आयुक्त के पास यह विश्वास करने के पर्याप्त कारण है कि प्रत्याह्वान को प्रभावी करने के लिए अतिरिक्त उपायों की आवश्यकता होगी या वह अवधारित करता है कि कोई प्रत्याह्वान अप्रभावी है या उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि खाद्य कारबार प्रचालक द्वारा असुरक्षित खाद्य का विनिर्माण जारी है तो मुख्य कार्यपालक अधिकारी, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण या राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के खाद्य सुरक्षा आयुक्त इस अधिनियम, नियम या तदधीन बनाए गए विनियमों के अधीन समुचित कार्रवाई करेगा और खाद्य कारबार प्रचालक ऐसी कार्रवाई के लिए दायी होगा।
- (7) आयातित खाद्य के प्रत्याह्वान को, स्वास्थ्य और खाद्य प्राधिकारियों की रिपोर्टों के आधार पर या ऐसे प्राधिकारियों से प्राप्त सूचना के आधार पर या यदि संबंधित प्राधिकारी की सूचना में अन्यथा ऐसा आता है, तो भी आरंभ किया जा सकता है।
- (8) खाद्य प्रत्याह्वान के आरंभ करने से मुख्य कार्यपालक अधिकारी, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण या राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के खाद्य सुरक्षा आयुक्त द्वारा संबंधित खाद्य कारबार प्रचालक के विरुद्ध अधिनियम के अधीन अपेक्षित किसी और विनियामक कार्रवाई का किया जाना प्रवरित नहीं होगा।
- 6. खाद्य प्रत्याह्वान प्रणाली का प्रचालन.—(1) खाद्य कारबार प्रचालक खाद्य वितरण अभिलेखों का अनुरक्षण करेगा, जिसमें आपूर्तिकर्ताओं और ग्राहकों के नाम और पता, खाद्य की प्रकृति, क्रय करने की तारीख, परिदान की तारीख, लाट संख्या, बैच कूट, पैक का आकार, ब्रांड नाम, विनिर्माण की तारीख, अवसान की तारीख और तारीख से पूर्व उपयोग सर्वोत्तम शामिल हैं और ऐसे अभिलेखों को एक वर्ष की अविध या उपयोगी जीवन या अवसान की तारीख, जो लागू हो, के लिए बनाए रखेगा।

- (2) अल्कोहाली सुपेयो की दशा में, जहां खाद्य सुरक्षा विनियमों के अधीन तारीख से पूर्व उपयोग सर्वोत्तम घोषणा से छूट प्रदान की गई है, विनिर्माता से आपूर्ति की तारीख या मास से दो वर्ष की कालावधि के लिए अभिलेख रखे जाएंगे।
- (3) खाद्य कारबार प्रचालक अनुसूची 1 के अधीन विनिर्दिष्ट सूचना को संबंधित प्राधिकारी को तुरंत किंतु उसकी जानकारी में यह बात आने के चौबीस घंटे से पूर्व प्रस्तुत करेगा कि ऐसा खाद्य का इन विनियमों के उपबंधों के अनुसार प्रत्याह्वान करना अपेक्षित है और वह प्रत्याह्वान कार्य को, ऐसी सूचना चेतावनी (चेताविनयों) को संचार के तीव्रतम साधनों, जिसके अंतर्गत फैक्स, ई-मेल और स्पीड पोस्ट है, के माध्यम से भेजेगा। राज्य या संघ राज्यक्षेत्र का खाद्य सुरक्षा आयुक्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण को ऐसी सूचना की प्राप्ति के चौबीस घंटे के भीतर सूचित करेगा।
- (4) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण या राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के खाद्य सुरक्षा आयुक्त से किन्हीं अनुदेशों का इंतजार किए बिना खाद्य कारबार प्रचालक प्रत्याह्वान के अधीन खाद्य के वितरण को और यदि आवश्यक हो तो उसके उत्पादन को रोक देगा तािक यह सुनिश्चय किया जा सके कि उपभोक्ता की सुरक्षा को खतरे में न डाला जाए और वह कच्ची सामग्री के विक्रेता से प्रभावित खाद्य के अंतिम उपभोक्ता को लिखित संसूचना, फोन, ई-मेल, फैक्स या उनके संयोजन से संपर्क करेगा, आपूर्तिकर्ताओं और अन्य सुसंगत फुटकर विक्रेता या व्यापार संगम को अधिसूचित करेगा और तुरंत सभी अपेक्षित उत्पाद ब्यौरों की अतिरिक्त ब्यौरों के साथ पहचान करेगा जिससे त्वरित पहचान और प्रत्याह्वान को सुकर बनाया जा सके।
- 7. प्रत्याह्वान योजना.—(1) अधिनियम के अधीन खाद्य के विनिर्माण या आयात या थोक विक्रय में नियोजित सभी खाद्य कारबार प्रचालकों के पास अद्यतन प्रत्याह्वान योजना होगी और खाद्य फुटकर विक्रेता से खाद्य प्रत्याह्वान योजना रखने की अपेक्षा तब तक नहीं होगी जब तक वे खाद्य के विनिर्माण या आयात या थोक विक्रय आपूर्ति में भी लगे हुए न हों :

परंतु खाद्य सेवा सेक्टर जैसे रेस्तांरा, केटरर और टेकअवे ज्वाइंट्स में खाद्य कारबार को तब तक प्रत्याह्वान योजना से छूट होगी जब तक वे एकीकृत विनिर्माण और वितरण नेटवर्क के साथ बहु आउटलेट खाद्य कारबार न चला रहे हों ।

- (2) खाद्य सेवा सेक्टर में खाद्य फुटकर विक्रेता और खाद्य कारबार, जिनसे प्रत्याह्वान योजना की अपेक्षा नहीं है वे प्रत्याह्वान किए गए स्टॉक को अपने सेल्फो से हटा देंगे और उसे विनिर्माता, आयातकर्ता या थोक विक्रेता को वापस कर देंगे और अनिवार्य रूप से यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्याह्वान के अधीन खाद्य को अन्य खाद्यों से तब तक पृथक् रखा जाए और उसकी पहचान की जाए जब तक कि उसका प्रत्याह्वान योजना के अधीन उपबंधित अनुदेशों के अनुसार निपटान नहीं कर दिया जाता है।
- (3) खाद्य कारबार प्रचालक मार्गदर्शक सिद्धांत, जो खाद्य प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर विरचित किए जाएं, के अनुसार अपनी खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के एक भाग के रूप में विस्तृत प्रत्याह्वान योजना विरचित करेंगे।
- (4) वास्तविक प्रत्याह्वान किए जाने के समय खाद्य कारबार प्रचालक खाद्य प्रत्याह्वान कार्यान्वयन योजना के ब्यौरों को मुख्य कार्यपालक अधिकारी, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण या राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के खाद्य सुरक्षा आयुक्त, खाद्य सुरक्षा परिप्रेक्ष्यों को गणना में लेंगे, प्रत्याह्वान का प्रयवेक्षण करेंगे, डाटा का संयोजन करेंगे और प्रत्याह्वान के पूरा होने की रिपोर्ट करेंगे।
- (5) खाद्य कारबार प्रचालक विरचित प्रत्याह्वान योजना के अनुसार प्रत्याह्वान प्रक्रिया के प्रभावी कार्यान्वयन का सुनिश्चय करेंगे।
- 8. प्रत्याह्वान संचार.—(1) खाद्य प्रत्याह्वान आरंभ करने वाला खाद्य कारबार प्रचालक तुरंत खाद्य श्रृंखला में खाद्य कारबार प्रचालक (प्रचालकों) को सूचित करेगा ।
- (2) ऐसे प्रत्याह्वान की सूचना लिखित संचार, फोन, ई-मेल, फैक्स, इलेक्ट्रानिक मीडिया (टीवी या रेडियो या इंटरनेट या संयोजन) या उनके किसी संयोजन के माध्यम से दी जाएगी और लिखित संचार की दशा में उस पर स्पष्ट रूप से "खाद्य

प्रत्याह्वान" चिह्नित होगा । संचार को "अत्यावश्यक" भी चिह्नित किया जाएगा । टेलीफोन कॉलों या अन्य वैयक्तिक संपर्क की पूर्वोक्त किसी एक विधि द्वारा पुष्टी की जाएगी और समुचित रीति में उसका दस्तावेजीकरण किया जाएगा ।

- (3) खाद्य श्रृंखला में प्रत्येक खाद्य कारबार प्रचालक, जो खाद्य प्रत्याह्वान संसूचना प्राप्त करता है, तुरंत उसमें दिए गए अनुदेशों को खाद्य प्रत्याह्वान प्रारंभ करके तुरंत पूरा करेगा और प्रत्याह्वान का उप विनियम (1) और उप विनियम (2) के अनुसरण में सभी संबंधित पणधारियों पर विस्तार करेगा।
- (4) खाद्य कारबार प्रचालक तुरंत खाद्य प्रत्याह्वान के प्रभावित क्षेत्र में उपभोक्ताओं को प्रैस विज्ञप्ति संबंधित पक्षकारों को पत्रों या मीडिया में विज्ञापनों के माध्यम से सूचित करेगा और ऐसी प्रैस विज्ञप्ति, पत्र या विज्ञापन 'खाद्य प्रत्याह्वान सूचना' के प्ररूप में होंगे तथा उनमें निम्नलिखित सूचना अंतर्विष्ट होगी :
 - (क) खाद्य प्रत्याह्वान करने वाले खाद्य कारबार प्रचालक का नाम
 - (ख) खाद्य का नाम, ब्रांड नाम, पैक का आकार, बैच और कूट संख्या, विनिर्माण की तारीख, ...तारीख तक उपयोग करें या तारीख से पूर्व उपयोग सर्वोत्तम ।
 - (ग) खाद्य में संदूषण या उल्लंघन या ऐसे प्रत्याह्वान के कारण।
 - (घ) "उपभोग न करें" संदेश।
 - (ड.) स्वास्थ्य चेतावनी और कार्रवाई।
 - (च) वह स्थान या आउटलेट जहां खाद्य पाया गया।
 - (छ) उपभोक्ता द्वारा की जाने वाली कार्रवाई।
 - (ज) प्रश्नों के लिए संपर्क नंबर।
- (5) खाद्य कारबार प्रचालक प्रश्नों की प्राप्ति के चौबीस घंटे के भीतर प्रश्नों का प्रत्युत्तर देगा यदि मुख्य कार्यपालक अधिकारी, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण या राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के खाद्य सुरक्षा आयुक्त से कोई हों तो। तथापि, विस्तृत डाटा यदि अपेक्षित हो तो उसे पश्चातवर्ती रूप से प्रस्तुत किया जा सकेगा।
- 9. प्रत्याह्वान प्रास्थिति रिपोर्ट.—(1) खाद्य करबार प्रचालक यह अवधारित करेगा कि प्रत्याह्वान की प्रभावी रूप प्रगति हो रही है और वह मुख्य कार्यपालक अधिकारी, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण या राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के खाद्य सुरक्षा आयुक्त को प्रत्याह्वान की प्रगति की सूचना देने के लिए आवधिक प्रास्थितिकी रिपोर्टें प्रस्तुत करेगा। ऐसी रिपोर्टों को प्रस्तुत करने की आवृत्ति प्रति सप्ताह एक बार या जैसा अन्यथा मुख्य कार्यपालक अधिकारी, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण या राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के खाद्य सुरक्षा आयुक्त द्वारा प्रत्याह्वान की संबंधित शीघ्रता या गंभीरता के आधार पर विनिर्दिष्ट किया जाए।
- (2) जब तक कि अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया जाए या किसी प्रत्याह्वान मामले में लागू न हो, प्रत्याह्वान प्रास्थिति रिपोर्ट में **अनुसूची 2** में यथा विनिर्दिष्ट सूचना अंतर्विष्ट होगी।
- (3) प्रत्याह्वान प्रास्थिति रिपोर्टों को, यथास्थिति, तब बंद कर दिया जाएगा, जब प्रत्याह्वान को मुख्य कार्यपालक अधिकारी, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण या राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के खाद्य सुरक्षा आयुक्त द्वारा प्रत्याह्वान को बंद कर दिया जाए या दोनों हों।
- (4) खाद्य कारबार प्रचालक मुख्य कार्यपालक अधिकारी, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण या राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के खाद्य सुरक्षा आयुक्त द्वारा या यथास्थिति, दोनों के द्वारा निरीक्षण और सत्यापन के लिए खाद्य प्रत्याह्वान के उचित और पूर्ण दस्तावेज रखेगा।

- 10. खाद्य प्रत्युद्धरण.—(1) खाद्य कारबार प्रचालक प्रत्युद्धृत खाद्य का किसी ऐसे क्षेत्र में भंडारण करेगा जो किसी अन्य खाद्य से पृथक् है और उसकी एक लेबल प्लेट के साथ पहचान की जाएगी जिस पर मोटे अक्षरों में, "मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त प्रत्युद्धृत किया गया उत्पाद" लिखा होगा।
- (2) खाद्य कारबार प्रचालक प्रत्युद्धृत किए गए खाद्य के सही अभिलेख रखेगा जिसके अंतर्गत लाट संख्या, बैच कूट, पैक का आकार, ब्रांड नाम, विनिर्माण की तारीख, अवसान की तारीख, से पूर्व उपयोग सर्वोत्तम और सभी संबंधित डाटा हैं। उचित अभिलेखन प्रणाली यह सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध होगी कि प्रत्युद्धरण किया गया खाद्य का प्रत्युद्धरण किया गया है और उसके ब्यौरों को अभिलिखित किया गया है।
- (3) खाद्य कारबार प्रचालक प्रत्याह्वान किए गए खाद्य को सही कर सकेगा या उसका पुन: प्रसंस्करण कर सकेगा, यदि मुख्य कार्यपालक अधिकारी, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा अनुज्ञात किया जाए । सभी अन्य मामलों में खाद्य कारबार प्रचालक ऐसे खाद्य के निपटान का मुख्य कार्यपालक अधिकारी, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के परामर्श से सुनिश्चय करेगा । ऐसे उत्पाद के निपटान का पूर्ण अभिलेख रखा जाएगा ।
- **11. पश्च प्रत्याह्वान रिपोर्ट.**—(1) खाद्य कारबार प्रचालक मुख्य कार्यपालक अधिकारी, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण को खाद्य प्रत्याह्वान प्रक्रिया के पूर्ण होने के पश्चात् एक पश्च प्रत्याह्वान रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा ताकि प्रत्याह्वान प्रक्रियाओं का अनुपालन करने के मूल्यांकन के लिए समर्थ बनाया जा सके।
- (2) इसके अतिरिक्त खाद्य प्रचालक के लिए उन कारणों की जांच करना, समस्या की पुनरावृत्ति को निवारित करने के लिए की गई कार्रवाई की जांच करना आवश्यक होगा जिनके कारण ऐसा प्रत्याह्वान करना पड़ा।
- 12. प्रत्याह्वान का समापन.—(1) खाद्य कारबार प्रचालक मुख्य कार्यपालक अधिकारी, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण को प्रत्याह्वान प्रास्थिति रिपोर्ट या पश्च प्रत्याह्वान रिपोर्ट के साथ यह प्रमाणित करते हुए कि प्रत्याह्वान प्रभावी था, लिखित अनुरोध प्रस्तुत करके प्रत्याह्वान को समाप्त करने का अनुरोध कर सकेगा । अनुरोध अनुसूची 3 में विनिर्दिष्ट प्ररूप में किया जा सकेगा ।
- (2) किसी प्रत्याह्वान को तब समाप्त किया जा सकेगा जब मुख्य कार्यपालक अधिकारी, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यह अवधारित करे कि यह विश्वास करना युक्तियुक्त है कि प्रत्याह्वान के अधीन खाद्य को हटा दिया गया है और/या समुचित रीति में उसका निपटान कर दिया गया है तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए गए है कि ऐसी घटनाएं फिर न हों और एक लिखित संसूचना खाद्य कारबार प्रचालक को खाद्य कारबार प्रचालक द्वारा लिखित अनुरोध प्रस्तुत करने के दो सप्ताह के भीतर भेजी जाएगी। खाद्य कारबार प्रचालक तत्पश्चात् सामान्य संक्रियाओं को फिर आरंभ कर सकता है।
- (3) असमाधानप्रद रिपोर्टों की दशा में, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण बढाए गए निरीक्षण, अभिग्रहण या कोई अन्य विधिक कार्रवाई खाद्य कारबार प्रचालक पर करने पर विचार कर सकेगा।
- 13. अनुवर्ती कार्रवाई.—खाद्य कारबार प्रचालक मुख्य कार्यपालक अधिकारी, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण को प्रत्याह्वान पूर्ण होने के यथाशीघ्र किसी भी दशा में प्रत्याह्वान के पूरा होने के तीस दिन से पूर्व एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, जिसमें निम्नलिखित सूचना होगी, अर्थात्:-
 - (क) ऐसी परिस्थितियां, जिनके कारण प्रत्याह्वान किया गया ;
 - (ख) खाद्य कारबार प्रचालक द्वारा की गई कार्रवाई, जिसके अंतर्गत प्रचार के ब्यौरे भी हैं;
 - (ग) देश और विदेश में सुसंगत बैच के वितरण का परिमाण ;
 - (घ) प्रत्याह्वान के परिणाम (वापस किए गए, ठीक किए गए, बकाया स्टाक की मात्रा आदि) ;

- (ङ) प्रत्युद्धरण किए गए स्टॉक की नष्ट करने और/या सही करने के अभिलेख के साथ स्टाक के निपटान की विधि ; और
- (च) भविष्य में समस्या की पुनरावृत्ति का निवारण करने के लिए कार्यान्वयन करने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई।
- **14. खाद्य कारबार प्रचालक का उत्तरदायित्व.**—(1) खाद्य कारबार प्रचालक के पास उन खाद्य कारबारों की पहचान करने की प्रणाली होगी, जिन्हें उन्होंने खाद्य की आपूर्ति की है।
- (2) खाद्य कारबार प्रचालक, राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के खाद्य सुरक्षा आयुक्त के साथ खाद्य के विनिर्दिष्ट बैच या लाट या कूट, जिसकी वे आपूर्ति करते है या आपूर्ति की गई है, द्वारा खड़े किए गए जोखिम से बचने के लिए या उसे कम करने के लिए की जाने वाली कार्रवाई के लिए सहयोग करेगा।
- (3) खाद्य कारबार प्रचालक जब, यथास्थिति, राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के खाद्य सुरक्षा आयुक्त द्वारा अनुरोध किया जाए तो वह विक्रय या वितरण से खाद्य को हटाएगा।
- 15. राज्य या संघ राज्यक्षेत्र का खाद्य सुरक्षा आयुक्त का उत्तरदायित्व.—(1) राज्य या संघ राज्यक्षेत्र का खाद्य सुरक्षा आयुक्त, खाद्य कारबार प्रचालक के प्रत्याह्वान का पर्यवेक्षण करेगा और खाद्य कारबार प्रचालक की प्रत्याह्वान चेतावनी सूचना प्राप्त करने के पश्चात् प्रत्याह्वान की खाद्य कारबार प्रचालक की क्षमता का निरीक्षण करेगा और वह निम्नलिखित के लिए भी उत्तरदायी होगा, अर्थात् :.—
 - (i) उपभोक्ता से शिकायत प्राप्त होने के पश्चात् संदिग्ध या असुरक्षित अवधारित खाद्य का निरीक्षण करे, अधिनियम के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई करे और खाद्य प्राधिकारी के साथ परामर्श से, जहां भी अपेक्षित हों, खाद्य कारबार प्रचालक को ऐसे खाद्य के प्रत्याह्वान का परामर्श देने के लिए;
 - (ii) प्रत्याह्वानों में, जहां उपभोक्ता अंतवर्लित है और जहां ऐसा करना अपेक्षित है, खाद्य कारबार प्रचालक के परामर्श से मीडिया द्वारा उपयोग के लिए तुरंत मीडिया विज्ञप्ति तैयार करने और जारी करने के लिए ;
 - (iii) जब वह यह अवधारित करता है कि खाद्य कारबार प्रचालक खाद्य के प्रत्याह्वान की प्रभावशीलता का सुनिश्चय करने में असमर्थ है, संपरीक्षा जांच संचालित करने के लिए ;
 - (iv) मामले की अत्यावश्यकता के अधीन रहते हुए प्रत्याह्वान की स्थिति की रिपोर्ट की आवृत्ति पर अनुदेश देने के लिए और खाद्य कारबार प्रचालक की प्रत्याह्वान प्रगति को मॉनीटर करने के लिए।
 - (v) प्रत्याह्वान को पूर्ण करने में खाद्य कारबार प्रचालक का पर्यवेक्षण करना और उसकी प्रत्याह्वान रिपोर्ट का निर्धारण करना ।
 - (vi) भारत में आयातित खाद्यों के लिए, जो अन्य बाजारों में प्रत्याह्वान किए गए उत्पाद हैं या जहां भारत में तैयार किए गए खाद्य प्रत्याह्वान के अधीन है या निर्यात के देश में अस्वीकृत हैं और भारत को लौटाए जाते हैं, खाद्य प्राधिकारी या राज्य या संघ राज्यक्षेत्रों का खाद्य सुरक्षा आयुक्त संबंधित खाद्य कारबार प्रचालक के साथ परामर्श से ऐसे उत्पादों के निपटान के लिए या पत्तन या अन्यथा पर पुन:प्रसंस्करण के लिए उनकी नियती का अवधारण करेगा और निर्यातित खाद्यों के लिए प्रत्याह्वान योजना का पुनर्विलोकन करेगा और आयात करने वाले देशों में ऐसे प्रत्याह्वान के संबंध में स्वास्थ्य प्राधिकारियों को आयातीत खाद्य पर परामर्श प्रदान करेगा।
- (2) राज्य या संघ राज्यक्षेत्रों का खाद्य सुरक्षा आयुक्त खाद्य प्राधिकारी को पूर्वोक्त प्रक्रिया के निष्पादन के विषय में सूचित करेगा और ऐसे अनुदेशों का पालन करेगा, जो खाद्य प्राधिकारी समुचित समझे।
- **16. खाद्य प्राधिकारी का उत्तरदायित्व.**—(1) खाद्य प्राधिकारी, राज्य या संघ राज्यक्षेत्रों का खाद्य सुरक्षा आयुक्त का प्रत्याह्वान योजना के निष्पादन में मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण करेगा तथा जहां आवश्यक हो वह खाद्य कारबार प्रचालक द्वारा प्रस्तुत की गई सुसंगत रिपोर्टों का मूल्यांकन करेगा और यथा अपेक्षित अनुदेश देगा।

- (2) खाद्य प्राधिकारी 'खाद्य प्रत्याह्वान पोर्टल' नामक वेब आधारित एक सुविधा को प्रत्येक प्रत्याह्वान की मानीटरी करने के लिए और ऐसे प्रत्याह्वान के विषय में उपभोक्ताओं को सूचना देने के लिए एक विशिष्ट पहचान संख्या के साथ अपनी वेबसाइट पर स्थापित करेगा।
- (3) खाद्य प्राधिकारी प्रत्याह्वान का भी तब प्रचार करेगा जब यह विचार करे कि पब्लिक को प्रास्थिति की गंभीरता के आधार पर निर्भर करते हुए स्वास्थ्य संकट के विषय में सतर्क करने की आवश्यकता है और वह संबंधित खाद्य कारबार प्रचालक (प्रचालकों) को उससे भिज्ञ रखेगा।

अनुसूची 1 [देखें विनियम 6(3)]

खाद्य प्रत्याह्वान सूचना

सेवा में, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, खाद्य प्राधिकरण, खाद्य सुरक्षा आयुक्त, राज्य या संघ राज्यक्षेत्र।

1. खाद्य कारबार प्रचालक का नाम		
 उस व्यक्ति का नाम, पदनाम और संपर्क के ब्यौरे जिससे संपर्क किया जाना चाहिए 		
3. विविक्षित खाद्य की पहचान	(क) खाद्य का नाम	
	(ख) ब्रांड नाम	
	(ग) विनिर्माण की तारीख	
	(घ) प्रभावित खाद्य की मात्रा	
	(ङ) बैच/लॉट/कूट संख्या	
	(च) प्रति के साथ एफएसएसएआई अनुज्ञप्ति/ रजिस्ट्रीकरण संख्या	
4. प्रत्याह्वान के कारण		
5. तारीख और परिस्थितियां, जिनके अधीन प्रत्याह्वान का		
पता चला था		
6. एफएसएस अधिनियम, नियम या तदधीन बनाए गए विनियमों के उपबंधों के उल्लंघन की प्रकृति		
7. समस्या की रिपोर्ट करने वाले व्यक्ति का नाम, पदनाम		
और पता तथा टेलीफोन नंबर		
8. क्या कोई परीक्षण किए गए हैं, तो उनके परिणाम		
9. उत्पादित/विनिर्मित खाद्य की कुल मात्रा		
10. इस उत्पाद के लिए खाद्य कारबार कुल अवधि		
11. खाद्य श्रृंखला में खाद्य कारबार प्रचालक/व्यष्टिकों को		
बेचे गए विविक्षित उत्पादों की मात्रा, दस्तावेजी सबूत सहित		
12. प्रत्याह्वान संचार की प्रति (यदि पहले ही जारी कर दी		
गई है) अन्यथा प्रस्तावित संचार और प्रस्तावित संचार के		

साधन/प्रस्तावित साधन	
13. पहले ही की गई कार्रवाई और प्रत्याह्वान के लिए	
प्रस्तावित योजना	
14. कोई अन्य सुसंगत सूचना	

* यदि स्थान पर्याप्त न हो तो कृपया और शीटें उपाबद्ध करें।

हस्ताक्षर और पदनाम

तारीख

अनुसूची 2 [देखें विनियम 9(2)] खाद्य प्रत्याह्वान प्रास्थिति रिपोर्ट प्ररूप

तारीख

प्रत्याह्वान के लिए खाद्य प्राधिकरण की निर्देश संख्या

1.	खाद्य का नाम	
2.	कंपनी का नाम	
3.	ब्रांड नाम	
4.	बैच/लॉट/कूट संख्या	
5.	विनिर्माण/पैकेजिंग की तारीख	
6.	फोन	
7.	ई-मेल	

ध्यान दें.—मुख्य कार्यपालक अधिकारी, एफएसएसएआई/खाद्य सुरक्षा आयुक्त, राज्य या संघ राज्यक्षेत्र

मैं (कंपनी का नाम) का प्राधिकृत प्रतिनिधि पूर्वोक्त सूचीबद्ध खाद्य के संबंध में निम्नलिखित प्रत्याह्वान प्रास्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करता हूं :

1. प्रत्याह्वान प्रारंभ करने से पूर्व विविक्षित उत्पाद के ब्यौरों से संबंधित मात्रा

(क)	विनिर्मित खाद्य की कुल मात्रा	
(ख)	वितरण चैनल में खाद्य कारबार प्रचालक/व्यष्टिकों को कुल विक्रित	
(ग)	प्रत्याह्वान किए जाने वाले खाद्य की कुल मात्रा	
(ঘ)	(क) और (ग) में मात्राओं के भिन्न होने की दशा में ब्यौरे (जो लागू हो, उस सही का निशान लगाएं)	

2. संचार

(क)	पहचाने गए खाद्य कारबार प्रचालक/व्यष्टिक की कुल संख्या	
(ख)	अधिसूचित खाद्य कारबार प्रचालक/व्यष्टिक की संख्या	
(ग)	अधिसूचना की विधि (जो लागू हो, उस सही का निशान लगाएं)	
	(i) पत्र (ii) फोन	
	(iii) फैक्स (iv) ई-मेल (v) अन्य : स्पष्ट करें	

3. खाद्य कारबार प्रचालक का प्रत्युत्तर

(क)	प्रत्युत्तर देने वाले खाद्य कारबार प्रचालक/व्यष्टिक की कुल संख्या				
(ख)	प्रत्युत्तर न देने वाले खाद्य कारबार प्रचालक/व्यष्टिक की कुल संख्या				
(ग)	प्रत्युत्तर न देने वाले खाद्य कारबार प्रचालक/व्यष्टिक को पारेषित किए गए खाद्य की कुल मात्रा				
(ঘ)	पैकेजीकृत इकाईयों की संख्या तथा प्रत्येक प्रत्युत्तर देने वाले खाद्य	वि	क्रेत	वापस	की गई
	कारबार प्रचालक/व्यष्टिकों को विक्रित मात्रा तथा प्रत्येक द्वारा वापस की	संख्या	मात्रा	संख्या	मात्रा
	गई मात्रा (अनुमार्गणीयता के अनुसार)				
	(i) खाद्य कारबार प्रचालक/व्यष्टिक				
	(ii) खाद्य कारबार प्रचालक/व्यष्टिक				
	(iii) खाद्य कारबार प्रचालक/व्यष्टिक				
	(iv) खाद्य कारबार प्रचालक/व्यष्टिक				
	(v) खाद्य कारबार प्रचालक/व्यष्टिक				
	यदि आवश्यक हो तो और जोड़े				
	योग				

गणना में लिए गए विविक्षित खाद्य की मात्रा (फर्म की अभिरक्षा में कुल मात्रा, जिसके अंतर्गत कुल विविक्षित उत्पाद की प्रत्याह्वान की गई प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त है)

4. जांच की प्रभावशीलता

(क)	कुल अपेक्षित संख्या	
(ख)	पूरी की गई कुल संख्या	
(ग)	पुरा करने की तारीख	

- 5. प्रत्याह्वान पूरा करने की अनुमानित तारीख
- 6. प्रत्याह्वान किए गए स्टॉक की प्रस्तावित विधि/नष्ट करने का अभिलेख
- 7. भविष्य में पुनरावृत्ति को रोकने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई, यदि इस बिन्दु पर उपलब्ध है

भवदीय

खाद्य कारबार प्रचालक के हस्ताक्षर और पदनाम

टिप्पण:

- 1. संचयी सूचना उपलब्ध कराएं।
- 2. प्रत्याह्वान समाप्त करने के अनुरोध के साथ उपाबद्ध अंतिम प्रास्थिति रिपोर्ट में निपटान/बिन्दु संख्या 6 पर निपटान के अभिलेखों को उपलब्ध कराया जाएगा।

अनुसूची 3 [देखें विनियम 12(1)]

खाद्य प्रत्याह्वान समापन अनुरोध प्ररूप

तारीख

[विज्ञापन-III/4/असा./392/16(187ओ)]

तारीख
सेवा में,
मुख्य कार्यपालक अधिकारी, खाद्य प्राधिकरण,
खाद्य सुरक्षा आयुक्त, राज्य या संघ राज्यक्षेत्र ।
प्रत्याह्वान के लिए खाद्य प्राधिकरण की निर्देश संख्या
खाद्य कारबार प्रचालक का नाम एवं अनुज्ञप्ति संख्या तथा रजिस्ट्रीकरण संख्या
उत्पाद का ब्रांड
खाद्य का नाम
तारीख कूट बैच संख्या विनिर्माण की तारीख/पैकेजिंग की तारीख
से पूर्व उपयोग सर्वोत्तम/अवसान की तारीख
खाद्य प्राधिकारी संपर्क फोन ई-मेल
निर्देश : प्रत्याह्वान समापन के लिए अनुरोध
कृपया ध्यान दें.—मुख्य कार्यपालक अधिकारी, एफएसएसएआई/खाद्य सुरक्षा आयुक्त, राज्य या संघ राज्यक्षेत्र
मैं जो जो (कंपनी का नाम) का प्राधिकृत प्रतिनिधि हूं, कथन करता हूं कि कंपनी ने पूर्वोक्त सूचीबद्ध उत्पाद/उत्पादों का (तारीख) प्रत्याह्वान आरंभ किया है, वह स्तर तक विस्तारित किया गया है। फोन, फैक्स, ई-मेल, मेल और वैयक्तिक भ्रमणों द्वारा उचित संपर्क किया गया था और इन संपर्कों के अभिलेख आपके कार्यालयों को उपलब्ध कराए गए हैं, जो इसके साथ उपाबद्ध हैं।
2. सभी अनुरोध की गई प्रास्थिति रिपोर्टें फाइल कर दी गई हैं (उपदर्शित करें यदि समुचित समय-सीमा के भीतर नहीं है) और नवीनतम रिपोर्ट इस संचार के साथ प्रस्तुत की जा रही है, (खाद्य कारबार प्रचालक) का यह विश्वास है कि पूर्वोक्त सूचीबद्ध उत्पाद का सफलतापूर्वक प्रत्याह्वान कर लिया गया है।
 इस निष्पादित प्रत्याह्वान के आलोक में अनुरोध करता हूं कि इस खाद्य उत्पाद के प्रत्याह्वान को समाप्त कर दिया जाए।
4. भविष्य में पुनरावृत्ति से बचने के लिए निम्नलिखित कार्रवाईयों का प्रस्ताव है ।
हस्ताक्षर
प्राधिकृत हस्ताक्षकर्ता का नाम और पदनाम
कंपनी का नाम
पवन अग्रवाल, मुख्य कार्यपालक अधिकारी

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Food Safety and Standards Authority of India)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th January, 2017

F. No. 1-59/FSSAI/2009.—Whereas the draft of the Food Safety and Standards (Food Recall Procedure) Regulations, 2015, were published as required by sub-section (1) of Section 92 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), *vide* notification of the Food Safety and Standards Authority of India number F. No. 1-59/FSSAI/2009, dated the 22nd April 2015, in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, inviting objections and suggestions from the persons likely to be affected thereby, before the expiry of the period of sixty days from the date on which the copies of the Official Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas the copies of the said Gazette were made available to the public on the 29th May 2015;

And whereas the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft regulations have been considered by the Food Safety and Standards Authority of India;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (m) of sub-section (2) of section 92 read with sub-section (4) of section 28 of the Food Safety and Standards Act, 2006, the Food Safety and Standards Authority of India hereby makes the following Regulations, namely: -

Food Safety and Standards (Food Recall Procedure) Regulations, 2017.

CHAPTER-I

GENERAL

- **1. Short title and commencement.**—(1) These regulations may be called as the Food Safety and Standards (Food Recall Procedure) Regulations, 2017.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- **2. Definitions.**—(1) In these regulations, unless the context otherwise requires,
 - (a) "Act" means the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006);
 - **(b) "food chain"** for the purposes of these regulations includes food involved in manufacture, processing, distribution, sale, import and export;
 - (c) "food recall" means the action to remove food from the market at any stage of the food chain, including that possessed by consumers;
 - (d) "food recall plan" means the procedures and arrangements that a food business operator shall have in place to retrieve food and food products from the food chain if a problem arises.;
 - (e) "food under recall" means the specific lot or batch or code number of food product that has been determined by the Food Authority or the Commissioner of Food Safety of the State or Union territory or the Food Business Operator as not in compliance with the Act or rules or regulations made thereunder;
 - (f) "recall alert" means any alert issued to the public by the Chief Executive Officer, Food Safety and Standards Authority of India or the Commissioner of Food Safety of the State or Union territory or the Food Business Operator under intimation to Chief Executive Officer, Food Safety and Standards Authority of India and the concerned Commissioner(s) of Food Safety of the State(s) about the food under recall;
 - (g) "traceability" means the ability to follow the movement of a food article through specified stage(s) of its production, processing and distribution;
 - (h) "unsafe food" means food as defined under clause (zz) of sub-section (1) of section 3 of the Act.

(2) All other words and expressions used herein and not defined but defined in the Act, rules or regulations made thereunder shall have the meanings assigned to the same in the Act, rules or regulations respectively.

CHAPTER-II

OBJECTIVES

- **3. Objectives of the food recall procedure.**—(1) Ensure removal of food under recall from all stages of the food chain in accordance with section 28 of the Act;
- (2) ensure dissemination of information to concerned consumers and customers; and
- (3) ensure retrieval, destruction or reprocessing of food under recall.

CHAPTER-III

SCOPE

4. Scope of the Food Recall Procedure.—These regulations shall apply to the food or food products that are determined or prima facie considered unsafe and/or as may be specified by the Food Authority from time to time.

Explanation: Food articles which require the mandatory mention of statutory warnings related to consumption being "injurious to health" may not be treated as unsafe food as part of any recall plan unless they are specifically determined unsafe and injurious to health.

CHAPTER IV

FOOD RECALL PROCEDURE

- **5. Initiation of the food recall process.**—(1) Every food business operator shall follow food recall procedure including complete process of recall, post-recall report, and follow-up action in order to ensure the effectiveness of the recall and prevent recurrence.
- (2) The food business operator shall initiate a recall process to fulfill his responsibility in accordance with section 28 of the Act.
- (3) The Chief Executive Officer, Food Safety and Standards Authority of India or the Commissioner of Food Safety of the State or Union territory or both may direct the food business operator to initiate the recall process.
- (4) The recall process shall also be initiated as a result of reports or complaints referred to the food business operator from any stakeholder and if food business operator determines that there is a need to recall. In case the food business operator does not respond to the complaint, the complainant or the consumer may inform the Chief Executive Officer, Food Safety and Standards Authority of India or Commissioner of Food Safety of the State or Union territory or both who will take steps to determine the need for recall and instruct the concerned food business operator regarding the recall, who shall be bound by such instructions.
- (5) It is the responsibility of all the food business operators in the entire food chain to implement the instructions relating to food recall. Failure to do so shall render the food business operator liable to action as provided under the Act or the rules or regulations made thereunder.
- (6) When a food business operator refuses to undertake a recall directed by the Chief Executive Officer, Food Safety and Standards Authority of India or Commissioner of Food Safety of the State or Union territory or where the Chief Executive Officer, Food Safety and Standards Authority of India or Commissioner of Food Safety of the State or Union territory has sufficient reasons to believe that additional measures would be required to make the recall effective, or determines that a recall is ineffective, or has a reason to believe that unsafe food is continuing to be manufactured by food business operator, the Chief Executive Officer, Food Safety and Standards Authority of India or Commissioner of Food Safety of the State or Union territory will take appropriate action as provided under the Act, rules or regulations made thereunder and the food business operator shall be liable for such action.
- (7) A recall of imported food may also be initiated on the basis of reports of health and food authorities, or from information received from such authorities or if it otherwise comes to the notice of the concerned authority.

- (8) The initiation of food recall shall not preclude the Chief Executive Officer, Food Safety and Standards Authority of India or Commissioner of Food Safety of the State or Union territory from taking further regulatory action against the concerned food business operator as may be required under the Act.
- **6. Operation of Food Recall System.**—(1) The food business operator shall maintain the food distribution records which include the names and addresses of suppliers and customers, nature of food, date of purchase, date of delivery, lot number, batch code, pack size, brand name, date of manufacture, date of expiry and best before date, and shall maintain such records for a period of one year from best before date or the expiry date, as applicable.
- (2) In case of alcoholic beverages where declaration of best before date is exempted under food safety regulations, one shall maintain records for a period of two years from date or month of supply from the manufacturer.
- (3) The food business operator shall submit information as specified under **Schedule I** to the concerned Authority immediately but not exceeding twenty-four hours from the time it comes to his notice that such food requires recall in accordance with the provisions of these regulations and initiate the recall exercise, such information alert(s) may be sent by quickest means of communication including fax, e-mail, and speed post. The Commissioner of Food Safety of the State or Union territory shall inform the Chief Executive Officer, Food Safety and Standards Authority of India within twenty-four hours of receipt of such information.
- (4) The food business operator shall stop distribution of food under recall and also stop its production if necessary, without waiting for any instructions from the Chief Executive officer, Food Safety and Standards Authority of India or Commissioner of Food Safety of the State or Union territory so as to ensure that consumer safety is not compromised and he shall contact everyone from the raw material vendor to the final consumer of the affected food by written communication, phone, e-mail, fax, or a combination thereof, notify the suppliers and any other relevant retailer or trade association and immediately identify all required product details along with any additional details which would facilitate speedy identification and recall.
- **7. Food Recall plan.**—(1) All food business operators engaged in the manufacture or importation or wholesale supply of food regulated under the Act must have an up-to-date recall plan. The food retailers are not required to have a food recall plan, unless they are also engaged in the manufacture or importation or wholesale supply of food.
 - Provided that food businesses in the food service sector such as restaurants, caterers and takeaway joints are exempted from having a recall plan unless they are running multi-outlet food business chains with integrated manufacturing and distribution network.
- (2) The food retailers and food businesses in the food service sector, which do not require to have a recall plan, shall remove the recalled stock from shelves and return it to the manufacturer, importer or wholesaler and must ensure that food under recall is separated and identified from other food until it is disposed of in accordance with the instructions provided under the recall plan.
- (3) The recalling food business operator(s) shall formulate a detailed recall plan as part of their food safety management system as per the guidelines that may be framed by the food authority from time to time.
- (4) At the time of actual recall being carried out, the food business operator shall submit the details of the implementation of the food recall plan to the Chief Executive Officer, Food Safety and Standards Authority of India and the Commissioner of Food Safety of the State or Union territory taking into account the food safety aspects, supervise the recall, assemble data and report on the completion of recall.
- (5) The food business operator(s) shall ensure effective implementation of the recall process as per the formulated recall plan.
- **8. Recall communication.**—(1) The food business operator initiating a food recall shall promptly inform food business operator(s) in the food chain including consumers about the recall.
- (2) Such recall communication shall be through written communication, phone, e-mail, fax, print media, electronic media (TV or Radio or Internet or combination) or a combination thereof and in case of written communication it shall be conspicuously marked "Food Recall". The communication shall also be marked "urgent" and telephone

- calls or other personal communication shall be confirmed by one of the above methods and documented in an appropriate manner.
- (3) Every Food business operator in the food chain who receives a recall communication shall immediately carry out the instructions detailed therein by the recall initiating food business operator and extend the recall to all concerned stakeholders in accordance with sub-regulations (1) and (2).
- (4) The food business operator shall promptly inform the consumers in the affected area of the food recall through press release, letters to the concerned parties or advertisements in the media and such press release, letter or advertisement shall be in the form of 'Food Recall Notice' and shall contain the following information, namely:-
 - (a) Name of the Food Business Operator recalling the food;
 - (b) Name of the food, brand name, pack size, batch and code number, date of manufacture, used by date or best before date;
 - (c) The contamination or violation in the food or reason for such recall;
 - (d) "do not consume message";
 - (e) Health warning and action;
 - (f) The places or outlets where the food is found;
 - (g) The action to be taken by the consumer;
 - (h) Contact number for queries.
- (5) The food business operator shall respond to queries if any from the Chief Executive Officer, Food Safety and Standards Authority of India and Commissioner of Food Safety of the State or Union territory within twenty-four hours of the receipt of the query. However detailed data, if required, may be submitted subsequently.
- **Recall status report.**—(1) The food business operator shall determine whether the recall is progressing effectively and shall submit periodic status reports to the Chief Executive Officer, Food Safety and Standards Authority of India or Commissioner of Food Safety of the State or Union territory to inform them of the progress of the recall. The frequency of such reports shall be submitted once in a week or as otherwise specified by the Chief Executive Officer, Food Safety and Standards Authority of India or Commissioner of Food Safety of the State or Union territory based on the relative urgency or gravity of the recall.
- (2) Unless otherwise specified or not applicable in a given recall case, the recall status report shall contain the information as specified in **Schedule-II.**
- (3) Recall status reports are to be discontinued when the recall is terminated by the Chief Executive Officer, Food Safety and Standards Authority of India or Commissioner of Food Safety of the State or Union territory or both, as the case may be.
- (4) The food business operator shall retain proper and complete documentation on food recall for inspection and verification by the Chief Executive Officer, Food Safety and Standards Authority of India or Commissioner of Food Safety of the State or Union territory or both, as the case may be.
- **10. Food recovery.**—(1) The food business operator shall store the recovered food in an area which is separated from any other food and is identified by a label plate including prominently that "RECALLED PRODUCT NOT FIT FOR HUMAN CONSUMPTION".
- (2) The food business operator shall maintain accurate records of the recovered food including their lot number, batch code, pack size, brand name, date of manufacture, date of expiry, best before date, and all related data. Proper recording system shall be available to ensure that recalled food is retrieved and its details are recorded.
- (3) The food business operator may correct or re-process the recovered food, if permitted by Chief Executive Officer, Food Safety and Standards Authority of India. In all other cases, the food business operator shall ensure

- disposal of such food in consultation with the Chief Executive Officer, Food Safety and Standards Authority of India. A complete record of the disposal of such product shall be maintained.
- **11. Post-recall report.**—(1) The food business operator shall submit a post-recall report to the Chief Executive Officer, Food Safety and Standards Authority of India after completion of the recall process so as to enable the assessment of adherence to the recall procedures.
- (2) In addition, it is necessary for the food business operator to investigate the reasons that led to such recall and taking action to prevent recurrence of the problem.
- **12. Termination of a recall.**—(1) The food business operator may request termination of recall by submitting a written request to the Chief Executive Officer, Food Safety and Standards Authority of India along with recall status report or post-recall report certifying that the recall was effective. The request may be made in the form specified in **Schedule-III.**
- (2) A recall may be terminated when the Chief Executive Officer, Food Safety and Standards Authority of India determines that it is reasonable to believe that the food under recall has been removed and/or disposed of in an appropriate manner and that steps have been taken to ensure that such incidents do not recur and a written communication shall be sent to the food business operator within two weeks of the request submitted by the food business operator and food business operator can resume normal operations thereafter.
- (3) In case of unsatisfactory reports, the Chief Executive Officer, Food Safety and Standards Authority of India may consider further action like stepped-up inspection, seizure or any other legal action against the food business operator.
- **13. Follow-up action.**—The food business operators shall provide the Chief Executive Officer, Food Safety and Standards Authority of India with a report as soon as a recall is completed, in any case not later than thirty days after the completion of a recall, covering the following information, namely: -
 - (a) the circumstances leading to the recall;
 - (b) the action taken by the food business operator including details of any publicity;
 - (c) the extent of distribution of the relevant batch in the country and overseas;
 - (d) the results of the recall (quantity of stock returned, corrected, outstanding, etc.);
 - (e) the proposed method of disposal or otherwise of recalled stock with record of destruction and/or correction; and
 - (f) the action proposed to be implemented in future to prevent a recurrence of the problem.
- **14. Responsibility of the food business operator.**—(1) The food business operator shall have procedures and systems in place to identify the food businesses to whom they have supplied their food.
- (2) The food business operator shall collaborate with the Commissioner of Food Safety of the State or Union territory or the Food Authority on action taken to avoid or reduce risks posed by the specific batch or lot or code of food, which they supply or have supplied.
- (3) The food business operator shall remove the food from sale or distribution, when requested by the Commissioner of Food Safety of the State or Union territory or the Food Authority, as the case may be.
- 15. Responsibility of the Commissioner of Food Safety of the State or Union territory.—(1) The Commissioner of Food Safety of the State or Union territory shall supervise the recall by the food business operator and inspect the food business operator's capability of recall after receiving the recall alert information and shall also be responsible for the following, namely:-
 - inspect the suspected or determined unsafe food after receiving complaint from the consumer, take
 action as per the provisions of the Act and advise the food business operator, in consultation with the
 Food Authority wherever required, to recall such food;

- (ii) to prepare and issue a media release for immediate use by the media in recalls involving consumers, and where required, in consultation with the food business operator;
- (iii) conduct audit checks when it is determined that the food business operator is unable to ensure the effectiveness of its recall:
- (iv) give instructions on the frequency of reporting the condition of recall, subject to the urgency of the case, and to monitor the recall progress of the food business operator(s);
- (v) supervise the food business operator in completion of recall and assess their recall report;
- (vi) as for the foods imported into India which are recalled products in other markets or where Indian made foods are subject to recall or rejection in country of export and returned to India, the Food Authority or the Commissioner of Food Safety of the State or Union territory shall, in consultation with the concerned food business operator, determine the fate of such products for disposal or reprocessing at port or otherwise and shall review recall plan for the exported foods and advice the health authorities in the importing countries about such recall.
- (2) The Commissioner of Food Safety of the State or Union territory shall inform the Food Authority about the execution of the above process and follow such instructions as the Food Authority may deem appropriate.
- **Responsibility of the Food Authority.**—(1) The Food Authority shall guide and supervise the Commissioner of Food Safety of the State or Union Territory in the execution of the Recall Plan and, where necessary, it may assess the relevant reports submitted by the food business operator and give instructions as may be required.
- (2) The Food Authority may establish a web based facility titled 'Food Recall portal' on its website with a unique identification number assigned to each recall for monitoring and to provide information to the consumers about such recall.
- (3) The Food Authority may also publicise about the recall when it considers that the public need to be alerted about the health hazard depending upon seriousness of the situation and it shall keep the concerned food business operator(s) aware of the same.

Schedule - I

[See Regulation 6(3)]

Food Recall Information

To

The CEO of the Food Authority,

The Commissioner of Food Safety of the State or Union territory

Sr. No.	Subject		Particulars			
1.	Name and Address of the food business operator					
2.	Name, Designation and Contact details of person who should be contacted					
3.	Identity of the implicated food	(a)	Name of the food			
		(b)	Brand Name			
		(c)	Date of Manufacturing			
		(d)	Quantity of Food affected			
		(e)	Batch/Lot/Code number			
		(f)	FSSAI License / Registration number with a copy			

Sr. No.	Subject	Particulars
4.	Reason for Recall	
5.	Date and circumstances under which need for food recall was discovered	
6.	Nature of violation of the provisions of the Act, Rules or Regulations made thereunder	
7.	Name, designation and address and telephone number of person reporting the problem	
8.	Has any testing been under taken; If yes, results thereof	
9.	Total quantity food produced/manufactured	
10.	Duration of food business for this product	
11.	Quantity of implicated product sold to the food business operator/individual in the food chain with documentary proof	
12.	Copy of Recall Communication (if already issued) otherwise proposed communication and means/ proposed means of communication	
13.	Action already taken and Proposed plan for recall	
14.	Any other relevant information	
# D1		

Signature and title

Date:

Schedule-II

[See Regulation 9 (2)]

FOOD RECALL STATUS REPORT FORMAT

			Date:	
Food Author	ity's R	eference number for recall		
	1.	Name of the food		
	2.	Name of the company		
	3.	Brand Name:		
	4.	Batch/Lot / Code Number:		
	5.	Date of Mfg/ Packaging (PKD):		
	6.	Phone:		
	7.	Email address:		

Attention-CEO	, FSSAI/Commissioner	of Food Safet	v of the S	State or	Union te	rritory

Ι,	_, the authorised representative of	(Name of the Company)	hereby submit
the following Recall Status R	eport regarding the above-listed food:		

^{*} Please attach extra sheets, if space is insufficient

1 (Duantity nala	tad dataila af	the implicated	nuadwat hafana	magall initiation.
Ι, (Quantity refa	teu details of	me implicated	product before	recall initiation:

(a)	Total quantity of food manufactured:	
(b)	Total sold to Food Business Operator/individual in	
	distribution channel:	
(c)	Total quantity of food to be recalled:	
(d)	Details in case quantities in row (a) and (c)are different, (reason thereof)	

2. Communication:

(a)	Total number of Food Business Operator /individual identified:	
(b)	Number of Food Business Operator / individual notified:	
(c)	Method of notification (check all that apply):	
(i)	Letter	
(ii)	Phone	
(iii)	Fax	
(iv)	Email	
(v)	Other(s): Please specify	

3. Food business operator response:

(a)	Total number of food business operator individual responding:	./			
(b)	Total number of food business operator / individual not responding:				
(c)	Total quantity of food dispatched to Non-responding food business operator/individual end:				
(d)	Number of packaged units and its		old	Returned	
	quantity sold to and returned by each responding food business operator/ individual (as per traceability):	Number	Quantity	Number	Quantity
(i)	Food business operator/ individual				
(ii)	Food business operator/ individual				
(iii)	Food business operator/ individual				
(iv)	Food business operator/ individual				
(v)	Food business operator/ individual				
	Add more, if required				
	Total				

Quantity of implicated product accounted for (Total amount in custody of firm, including that recalled expressed as percentage of total implicated product):

20		THE GAZ	ETTE OF INDIA : EXT	TRAORDINARY [PART III—SE	c. 4 _]
4.	Effect	tiveness Checks:			
	(a)	Total number required:			
	(b)	Total number completed:			
	(c)	Completion date:			
5.	Estim	nated Recall Completion Dat		_	
6.	Propo	osed method of disposal of re	ecovered stock / record o	f destruction:	
7.	Actio	ns proposed to avoid recurre	ence in future, if availabl	e at this point	
				Yours since	rely,
				Signature and	l title
				Food Business Ope	rator
Note	e :				
1.	Provide cu	imulative information.			
		status report to be attached w destruction in point 6.	ith the Recall termination	request shall provide decided method of dispo	osal /
			Schedule-III		
			[See Regulation 12 (
		FOOD RECA	ALL TERMINATION R	EQUEST FORMAT	
				Date:	
То					
		CEO, Food Authority			
		Commissioner of Food Safety of		·	
	•	y's Reference No. for Recall: _			
		-	o. & Registration No.:		
		:			
Date	e Code:	Batch No	Manufactur	ing Date / Packaging Date	
		xpiry date			
Food	d Authority	Contact:	Phone:	Email:	
		Re	of: Request for Recall Te	rmination	
Atte	ention-CEO	O, FSSAI/Commissioner of I	Food Safety of the State of	or Union territory	
I		, the authorised repre	sentative of(N	ame of the Company) state that the Company	/ has

I, the authorised	representative of	(Name of the Co	mpany) state that the	Company has
initiated a recall of the above-listed p	product/products on (o	date) that exter	nded to the	level. Proper
communications were made by phone,	fax, email, mail and person	nal visits, and records	s of these communicati	ons have been
provided to your offices which are ann	nexed along.			

•	All requested Status Reports have been filed (indicated if or not within the proper time-frames), and the latest being submitted with this communication (Food Business Operator) believes the above-oduct has been successfully recalled.
3.	In light of this executed recall, I hereby request that this food product recall be terminated.
1.	The following Actions are proposed to avoid recurrence in future:
	Signature
	Name and designation of Authorised Signatory
	Name of the company
	PAWAN AGARWAL, Chief Executive Officer
	[ADVTIII/4/Exty./392/16(187O)]